


(4)

समक्ष राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर, खण्डपीठ रीवा, (म.प्र.)

राजस्व पुनरीक्षण क्र. / 2014

283
30-5-14



R.P.
201-

R-1946-1114

1. हनुमान प्रसाद द्विवेदी, उम्र 52 वर्ष,
2. मिथिला प्रसाद द्विवेदी, उम्र 45 वर्ष,
3. सुरसरी प्रसाद द्विवेदी, उम्र 42 वर्ष,
4. सत्यभान प्रसाद द्विवेदी, उम्र 37 वर्ष,

श्री. ~~अमरपाल~~ सुभी के पिता स्व. श्री मथुरा प्रसाद द्विवेदी
द्वारा आज दिनांक... 30-5-14...
प्रस्तुत किया गया।

रीवा

सर्किट कोर्ट रीवा

..... पुनरीक्षणकर्तागण / आवेदकगण

बनाम

1. रामाधार पिता शम्भू प्रसाद,
 2. बेवा शियादुलारी पत्नी स्व. रामसुमन, उम्र 60 वर्ष,
 3. रामबक्स चतुर्वेदी, उम्र 32 वर्ष,
 4. शिवमूरत चतुर्वेदी, उम्र 28 वर्ष,
 5. द्रोपदी चतुर्वेदी, उम्र 30 वर्ष,
 6. बब्बी चतुर्वेदी, उम्र 26 वर्ष,
- सभी के पिता स्व. श्री रामसुमन चतुर्वेदी,
7. ब्रदी प्रसाद तनय सीताराम,

सभी निवासी ग्राम बिछिया खुर्द, तहसील अमरपाटन, जिला सतना, (म.प्र.)

..... गैर पुनरीक्षणकर्तागण / अनावेदकगण

पुनरीक्षण विरुद्ध निर्णय न्यायालय अपर आयुक्त
महोदय, रीवा संभाग, रीवा के राजस्व अपील
प्रकरण क्र. 36 / अपील / 1987-88 में पारित

M

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.1946-II/14

जिला-सतना

हनुमान प्रसाद द्विवेदी वगैरः/रामाधार वगैरः

(1)	(2)	(3)
01.02.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. अनावेदक क्रमांक-2 से 6 की ओर से श्री सत्यदेव दुवे उपस्थित।4. अनावेदक अभिभाषक द्वारा मौखिक बताया गया कि अनावेदक क्रमांक-1 तथा 6 की मृत्यु हो चुकी है, किन्तु मृतको के वारिस को पक्षकार बनाये जाने का आवेदन आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः प्रकरण खारिज किया जावे।5. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।6. आदेश की प्रति के प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।	<p style="text-align: center;"> सदस्य</p>